

क्रमांक 116 (एक-दो-1)07

(परिपत्र)

सागर दिनांक-10-12-2025

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि सत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकाओं में लेख किए जाने वाले अपराध क्रमांक एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर अंकित किए गए अपराध क्रमांक में भिन्नता परिलक्षित होने पर, न्यायालयों द्वारा जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की जाकर उनका निराकरण किया जाता है। अपराध क्रमांक की भिन्नता सीआईएस साफ्टवेयर पर जमानत याचिका के निराकरण के समय सुधारी नहीं जा रही है और ना ही सत्र न्यायालय को उसकी सूचना ही दी जा रही है एवं निराकरण उपरांत उसी त्रुटिपूर्ण अपराध क्रमांक के स्वरूप में जमानत याचिका अभिलेखागार में संचित कर दी जाती है जिसके परिणामस्वरूप द्वितीय जमानत आवेदन से संबंधित प्रस्तुत होने वाली जमानत याचिकाओं में अपराध क्रमांक की त्रुटि निरंतर बनी रहती है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उस अपराध क्रमांक से संबंधित प्रथम जमानत याचिका किस न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर निराकृत की गयी है।

अतः समस्त पीठासीन न्यायाधीशगण को निर्देशित किया जाता है कि वे पेश होने वाली जमानत याचिका पर अंकित किए गए अपराध क्रमांक एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर अंकित अपराध क्रमांक में भिन्नता होने पर सीआईएस साफ्टवेयर में त्रुटि सुधार उपरांत उक्त संबंध में सूचना सत्र न्यायालय में आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे तदोपरांत ही जमानत याचिका का निराकरण किया जावे।

(प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
सागर 10.12.2025

पृष्ठां. क्रमांक 7421 (एक-दो-1)07

सागर दिनांक-10-12-2025

- 1- समस्त अपर सत्र न्यायाधीश जिला मुख्यालय सागर
- 2- निष्पादन लिपिक सत्र न्यायालय सागर
की ओर सूचनार्थ व दिए गए निर्देशों का यथोचित पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित।
- 3- जे0एस0ए0 सागर
संबंधित न्यायालयों को ई मेल के माध्यम से प्रेषित किए जाने हेतु प्रेषित।

(प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश)
सागर 10.12.2025